

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1723
11 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का आकलन

1723. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए, कार्रवाई किए गए आवेदनों की कुल संख्या और वितरित किए गए ऋण की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के लिए सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के लिए सरकार द्वारा जारी की गई और लाभार्थियों को वितरित की गई कुल निधियों का वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): गत तीन वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी की ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत प्राप्त आवेदनों, प्रोसेस किए गए आवेदनों की कुल संख्या और विभिन्न वर्गों को संवितरित ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सीएलएसएस सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) सीएलएसएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को जारी और लाभार्थियों को संवितरित निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू की क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत विभिन्न श्रेणियों (ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी) के तहत प्राप्त और प्रोसेस किए गए आवेदन तथा स्वीकृत ऋण की राशि का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवेदकों की संख्या			ऋण राशि (करोड़ ₹0 में)		
		ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	3	-	-	0.33	-
2	आंध्र प्रदेश	1,413	9,317	11,566	128.64	1,599.31	3,450.62
3	अरुणाचल प्रदेश	-	5	31	-	0.36	6.54
4	असम	66	565	510	5.54	81.29	147.82
5	बिहार	750	3,685	2,891	63.80	554.23	847.38
6	चंडीगढ़	20	144	297	1.83	25.01	93.39
7	छत्तीसगढ़	3,255	5,801	2,870	205.10	713.64	764.83
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,144	1,446	298	97.95	176.63	57.72
9	दिल्ली (यूटी)	1,346	7,712	9,426	143.90	1,247.11	2,747.17
10	गोवा	42	336	424	4.16	61.66	132.52
11	गुजरात	81,645	1,23,234	34,828	7,210.35	17,834.20	9,155.89
12	हरियाणा	2,043	6,944	9,797	174.85	1,050.25	3,064.87
13	हिमाचल प्रदेश	90	328	269	6.85	41.87	66.38
14	जम्मू और कश्मीर	376	863	182	22.17	62.01	55.94
15	झारखंड	281	2,892	2,764	24.49	464.48	789.00
16	कर्नाटक	3,063	10,703	29,489	251.12	1,730.32	11,122.11
17	केरल	6,320	5,145	2,593	450.80	697.84	840.64
18	लद्दाख (यूटी)	14	21	6	0.84	1.27	1.02
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	19,110	27,052	10,268	1,434.12	3,458.35	2,677.55
21	महाराष्ट्र	40,248	1,25,575	71,115	4,165.27	21,797.68	24,666.99
22	मणिपुर	18	119	15	1.07	7.26	4.12
23	मेघालय	16	79	15	1.27	8.79	3.75
24	मिजोरम	201	604	93	12.02	42.40	10.97
25	नागालैंड	7	8	10	0.42	1.02	2.82
26	ओडिशा	392	1,721	1,962	25.37	230.82	560.53
27	पुडुचेरी (यूटी)	52	236	272	4.49	38.55	90.40
28	पंजाब	3,005	7,154	6,087	236.12	1,018.33	1,606.89
29	राजस्थान	12,985	22,591	12,813	972.04	2,924.93	3,224.25
30	सिक्किम	7	14	7	0.63	1.86	1.49
31	तमिलनाडु	5,322	16,849	19,615	455.64	2,622.14	6,225.86
32	तेलंगाना	1,156	9,456	21,609	113.07	1,702.80	7,324.27
33	त्रिपुरा	103	408	287	7.73	52.84	82.16
34	उत्तर प्रदेश	7,520	27,329	31,512	623.57	4,123.05	9,625.72
35	उत्तराखंड	1,350	4,139	2,433	105.21	565.09	705.29
36	पश्चिम बंगाल	3,220	14,037	10,333	291.53	2,084.15	2,741.01
	कुल	1,96,580	4,36,515	2,96,687	17,241.96	67,021.87	92,897.91

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत जारी केंद्रीय सहायता / सब्सिडी का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र - वार विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-20)

क्रम सं.	राज्य	सीएलएसएस के अलावा अन्य लाभार्थियों के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ ₹0 में)	सीएलएसएस के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी (करोड़ ₹0 में)	लाभार्थियों को जारी / संवितरित की गई कुल धनराशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.43	0.03	0.46
2	आंध्र प्रदेश	6,995.81	468.97	7,464.78
3	अरुणाचल प्रदेश	53.17	0.72	53.89
4	असम	833.23	21.72	854.95
5	बिहार	1,443.68	145.70	1,589.38
6	चंडीगढ़	10.04	10.04	20.08
7	छत्तीसगढ़	1,652.25	210.18	1,862.43
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र	89.13	64.23	153.36
9	दिल्ली (यूटी)	413.62	413.62	827.24
10	गोवा	18.40	18.04	36.44
11	गुजरात	6,600.25	5,483.17	12,083.42
12	हरियाणा	736.26	379.76	1,116.02
13	हिमाचल प्रदेश	69.83	13.21	83.04
14	जम्मू और कश्मीर	169.14	12.90	182.04
15	झारखंड	1,397.09	115.02	1,512.11
16	कर्नाटक	3,004.39	886.83	3,891.22
17	केरल	1,111.81	219.77	1,331.58
18	लद्दाख (यूटी)	10.95	0.43	11.38
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	5,961.18	1,081.38	7,042.56
21	महाराष्ट्र	5,893.50	5,461.53	11,355.03
22	मणिपुर	212.99	1.96	214.95
23	मेघालय	5.82	1.60	7.42
24	मिजोरम	101.58	15.77	117.35
25	नागालैंड	89.50	0.37	89.87
26	ओडिशा	874.50	72.12	946.62
27	पुडुचेरी (यूटी)	106.88	10.62	117.50
28	पंजाब	433.04	335.73	768.77
29	राजस्थान	1,091.01	926.09	2,017.10
30	सिक्किम	3.40	0.54	3.94
31	तमिलनाडु	4,405.42	820.47	5,225.89
32	तेलंगाना	1,424.43	702.37	2,126.80
33	त्रिपुरा	475.53	15.26	490.79
34	उत्तर प्रदेश	10,161.99	1,359.98	11,521.97
35	उत्तराखंड	261.40	146.35	407.75
36	पश्चिम बंगाल	2,945.01	606.20	3,551.21
	कुल	59,056.67	20,022.68	79,079.35

दिनांक 11.02.2021 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं.1723 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पीएमएवाई-यू की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना घटक के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए धन और लाभार्थियों को वितरित की गई निधियों का वित्तीय संस्था-वार विवरण

क्रम सं.	वित्तीय संस्था	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु0 में)	लाभार्थियों की संख्या
1	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां	12,830.46	5,91,095
2	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3,761.37	1,83,816
3	निजी क्षेत्र के बैंक	2,925.22	1,28,406
4	सहकारी बैंक	211.75	10,362
5	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	207.40	11,979
6	लघु वित्त बैंक	86.48	4,124
	कुल	20,022.68	9,29,782
